न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 152/2023

1. मुस्कान पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी हाल चक 17 बीडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

...प्रार्थीया

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी बशीर हाल चक 17 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. विनोदकुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 17 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर
3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मुकेशकुमार अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
5. श्री रफीकशाह अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक 07.05.24**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीया के दादा विजयसिंह अप्रार्थी सं0 1 के नाम से कृषि भूमि चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/5 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 0.2529 है0, 4/1 में 0.1265 है0, 9 ता 12 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 ता 22 प्रत्येक में 0.2529 है0, 23/1 में 0.1265 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 खातेदारीशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीया का दादा है व अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीया का चाचा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया मकान बनाकर अपने पिता व अपने नाबालिग भाई विक्रांत के साथ निवास कर रही है तथा प्रार्थीया की माता प्रार्थीया के पिता से तलाक लेकर अलग निवास कर रही है। उपरोक्त भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के दादा के नाम से दर्ज है को प्रार्थीया के पड़दादा हजारीराम ने अपनी पुश्तैनी भूमि तहसील टिब्बी के चक 15 एफटीपी को विक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खरीद की गई है तथा इसी रकबा में कुछ भूमि अप्रार्थी सं0 1 के भाई के नाम से खरीद की गई है। इसलिए उपरोक्त वादगत भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। इसप्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई का हिस्सा एवं हक निहित है। अप्रार्थी सं0 1 के अप्रार्थी सं0 2 व प्रार्थीया का पिता कुल दो संतान है। इसप्रकार प्रार्थीया के पिता का उपरोक्त भूमि 3.16.14 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि बनती है तथा प्रार्थीया के पिता के प्रार्थीया व प्रार्थीया का भाई कुल दो संतान है। इसप्रकार प्रार्थीया के पिता के हिस्से आई 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीया व व प्रार्थीया के भाई का 1/4–1/4 हिस्सा रकबा बनता है। जिसपर जन्म से ही प्रार्थीया व प्रार्थीया के नाबालिग भाई का हक एवं हिस्सा निहित है। प्रार्थीया अपने व अपने नाबालिग भाई के हिस्से की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है एवं प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी का दादा अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आ गया है और वह प्रार्थीया व प्रार्थीया

के नाबालिग भाई के हिस्से की भूमि को येन–केन प्रकरेण अप्रार्थी सं0 2 को देना चाहता है इसप्रकार वह प्रार्थीया व प्रार्थीया के नाबालिग भाई को उनकी पुश्तैनी भूमि के हक व हिस्से से वंचित करना चाहता है। इसप्रकार प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है। उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्रार्थीया को अप्रार्थी सं0 1,2 बेदखल कर देगें तो काफी असुविधा होगी। इसप्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसका मुद्राओं में आंकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/05 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 0.2529 है0, 4/1 में 0.1265 है0, 9 ता 12 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 ता 22 प्रत्येक में 0.2529 है0, 23/1 में 0.1265 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 भूमि में प्रार्थीया के पिता की 1/2 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीया व प्रार्थीया के नाबालिग भाई के हक एवं हिस्से की 2/4 हिस्सा कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1, अप्रार्थी सं0 2 के नाम से नहीं करवाये या अन्य किसी को विक्रय नहीं करे एवं उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीया के हक एवं हकूको पर कुठाराघात ना हो तथा रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी विजयसिंह की ओर से बाद तलवी अधिवक्ता श्री रफीकशाह ने उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 के साथ कभी नहीं रही प्रार्थीया के पिता रोहिताश व उनकी माता सीतादेवी को 2013 में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया था मेरे पुत्र रोहिताश व उसकी पत्नी से कोई संबंधि नहीं है इसलिए प्रार्थीया का किसीप्रकार का कोई हक–हिस्सा मांगने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया की माता ने सन् 2017 में प्रकरण सं0 478/2017 अनवान सीतादेवी बनाम रोहिताश ने दिनांक 15.3.18 को तलाक ले लिया इसलिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के पुत्र अप्रार्थी सं0 2 विनोदकुमार की मृत्यु दिनांक 21.6.2021 को हो चुकी है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 2 का भूमि अपने नाम करवाना तथा अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 का प्रभाव होनी सरासर गलत है। दिनांक 22.9.23 को अप्रार्थी सं0 2 का प्रार्थीया के पास आना तथा अपने नाम करवाने की धमकी देना व बेदखल करने की कहानी व लड़ाई झगड़ा पर उतारू होना वर्णित किया है इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। अप्रार्थी ने अपनी भूमि चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/05 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 0.2529 है0, 4/1 में 0.1265 है0, 9 ता 12 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 ता 22 प्रत्येक में 0.2529 है0, 23/1 में 0.1265 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 का बेचान दिनांक 21.9.23 को ही ओंकार नाथ योगी को बेचान किया जा चुका है जबकि प्रार्थीया ने दावा दिनांक 4.10.23 को पेश किया है इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मय हर्जाखर्चा निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थीया का मनगढत बातों के आधार पर पेश प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीया ने अपनों कथनों को साबित करने के पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीया के पक्ष में

प्रथमदृष्टया मामला बनता हो और भूमि प्रार्थीया के नाम नहीं है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है और प्रार्थीया को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज करते हुवे दिनांक 3.10.23 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीया साबित करने में असफल रहे है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस का अध्ययन मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीया साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/05 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 0.2529 है0, 4/1 में 0.1265 है0, 9 ता 12 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 ता 22 प्रत्येक में 0.2529 है0, 23/1 में 0.1265 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि में प्रार्थीया मुस्कान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 3.10.23 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)